

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक- 01.7.19

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा-पादरू पटवार क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या 814 रकबा 16.8997 हैक्ट. भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 03.5.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिवाना को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिवाना द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरू पटवार क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या 814 रकबा 16.8997 हैक्ट. भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


क्र. सं.	नाम खातेदार	गांव का नाम	खसरा नं०	रकबा (हैक्ट.में)	किस्म भूमि	लगान (रु०)	बरंग
1	कोलसिंह पुत्र रावतसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	पादरू	814 814	2.9461 2.6062	घोरा घोरा	3.46 3.06	तोतई
2	खीमसिंह पुत्र रावतसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	पादरू	814	5.5523	घोरा	6.52	कंसरीया
3	रूपसिंह पुत्र रावतसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	पादरू	814	5.5523	घोरा	6.52	हल्दी
4	कोलसिंह पुत्र रावतसिंह 1/3 खीमसिंह पुत्र रावतसिंह 1/3 रूपसिंह पुत्र रावतसिंह 1/3 कौम राजपूत सा.देह खातेदार (रास्ता हेतु)	पादरू	814	0.2428	घोरा	0.28	काला




सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी एवं

तहसीलदार,सिवाना को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिवाना

निर्णय आज दिनांक 01.07.19को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिवाना
(S.D.O) सिवाना

